कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ–831/1/साप्रवि/विविध/21/317 भिलाई, दिनांक 1-3-2021

आदेश

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक /स्था./दो/का.भा./57/07/3553 दिनांक 16.05.07 के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण सा.प्र.विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–4/2002/1–3 दिनांक 10 जून 03 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत निकाय स्तर पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ–7–1/2012/1–3 दिनांक 14.06.2013 एवं पत्र क्रमांक/एफ–7–1/2019/1–3 दिनांक 23.02.2019 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा निकाय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 20.10.2020 की अनुशंसा तथा संचालक संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक स्था./1/72/210/2020/100005 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान किये जाने पर **स्व. श्री संतोष बारले सफाई कामगार** के मृत्यु पश्चात् उनकी पत्नि **श्रीमती मिथला** को **भृत्य** पद पर मैट्रिक्स लेवल 01 (न्यूनतम वेतन 15600 अधिकतम वेतन 49400) में अनुकम्पा नियुक्ति नियमित स्थापना में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षावधि के अध्याधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति किया जाता है :–

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति शासन के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जा रही है। भविष्य में किसी भी पक्षकार/आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के संबंध में शिकायत करता है एवं जांच में शिकायत सही पाया जाता है तो या आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र असत्य/गलत पाया जाता है तो आवेदक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु स्वमेव अपात्र हो जावेगा एवं अनुकम्पा नियुक्ति एकपक्षीय निरस्त कर दिया जावेगा एवं नियुक्ति दिनांक से की गई समस्त भुगतान भू–राजस्व की भांति वसूलनीय होगा।
2. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना अथवा सूचना के एवज में एक माह का वेतन/भत्तें देने पर सेवा समाप्त समझी जावेगी।
3. नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा कार्य पर उपस्थिति मान्य नही किया जावेगा तथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय प्रमुख जिला चिकित्सालय दुर्ग का शारीरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं एक नग कोरी सेवापुस्तिका प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः.......

5. कार्य पर उपस्थिति के समय अपने शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता संबंधी मूल प्रमाण–पत्रों को लाना अनिवार्य होगा।
6. पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर अपने परिवार में कोई भी सदस्य के शासकीय सेवा में सेवारत् तो नही है इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्रमांक/एफ–831/1/सा.प्र.वि./विविध/21/318 **भिलाई, दिनांक** 1-3-2021
प्रतिलिपि :–

1. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग. रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/स्था./दो/का.भा./57/3553 दिनांक 16.05.2007 के तारतम्य में सूचनार्थ ।
2. प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. दुर्ग को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. प्रोग्रामर डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट में अपलोड हेतु।
8. स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ।
9. संबंधित **श्रीमती मिथला** पति **स्व.संतोष बारले** को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई